अज अदालत ——अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01—मुकाम अजमेर

उनवानः— प्रवेश राठी बनाम श्रीमती विमला देवी

दीवानी वाद संख्या 136/2023

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
	दिनांकः—08.07.2026 वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के जरिये वादी द्वारा दिनांक 10.12.2025 को प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 35, 36, 37 स्टॉम्प अधिनियम सपठित धारा 151सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना—पत्र सुनी गई। प्रार्थी/वादी ने जरिए प्रार्थना—पत्र यह जाहिर किया कि इकरारनामा बेचान दिनांक 31.07.2022 का है उसे ड्यूली स्टॉम्प कराये जाने हेतु माननीय उप महानरीक्षक मुद्रांक एवं कलेक्ट्र स्टॉम्प अजमेर के यहां भिजवाये जाने का आदेश प्रदान करें ताकि इकरारनामा बेचान दिनांक 31.07.2022 ड्यूली स्टॉम्प हो सके एवं वादीगण ड्यूली स्टॉम्प हेतु जो राशि है तो वह जमा कराकर ड्यूली स्टॉम्प करा सके। उक्त इकरारनामा बेचान दिनांक 31.07.2022 को स्टॉम्प कराये जाना उचित, मुनासिब व न्यायसंगत है तो जो कि प्रकरण के निस्तारण के लिये सुंसंगत दस्तावेज है। विपरीत पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना—पत्र का जवाब पेश नहीं कर मौखक रूप से आपत्ति प्रकट की। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण इकरारनामा बेचान का दस्तावेज दिनांक 31.07.2022 को निष्पादित हुआ उसका स्पेसिफिक परफोरमेंस ऑफ कांट्रेक्ट कराये जाने हेतु वादीगण ने प्रकरण प्रस्तुत किया है। पत्रावली अभी साक्ष्य के स्तर पर नियत है तथा साक्ष्य में दस्तावेजात को प्रदर्शित कराए जाने बाबत् दस्तावेज को पर्याप्त स्टाम्प पर होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 35, 36, 37 स्टॉम्प अधिनियम सपठित धारा 151सीपीसी के तहत स्वीकार किया जाता है। दस्तावेजात इकरारनामा बेचान दिनांक 31.07.2022 को इम्पाउण्ड किया जाता है। वादी उक्त दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपी आगामी तारीख पेशी से पूर्व पेश किए जाने पर दस्तावेज को कमिशनर स्टाम्प को विधिसम्मत व समुचित रूप से स्टाम्पित किए जाने हेतु यम तहरीर असल इकरारनामा बेचान दिनांक 31.07.2022 प्रेषित किया जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार दस्तावेज दिनांक 13.08.2026 को पेश हो।	